Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 100/एसटी–2.–हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून 2017, में आगे निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून 2017, में,–

(क) अनुसूची I–2.5% में,–

(i) क्रम संख्या 29 में, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

2
"0802, 0813'';

(ii) क्रम संख्या 30 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए'';

(iii) क्रम संख्या 99 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी'';

(iv) क्रम संख्या 101 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरुप खाद्य पदार्थ जो तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गये हैं; और (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के संबंध में किसी अनुयोज्य दावा या किसी प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 164 के सामने, "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(क) केरोसिन तेल, पीडीएस;

(ख) जहाजों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर तेल, अर्थात्,–

i. आईएफओ 180 सीएसटी

ii. आईएफओ 380 सीएसटी";

(vi) क्रम संख्या 181 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"181 (क)	30	औषधि द्रव्य (जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव–रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि–द्रव्य भी शामिल हैं) जिनका विनिर्माण अनन्य के रुप से, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज–संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाईड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज–संग्रहों, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज–संग्रहों में यथा विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।";

(vii) क्रम संख्या 187 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स";

(viii) क्रम संख्या 188 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"188 (क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड (हाई रबर से भिन्न)";

(ix) क्रम संख्या 191 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"191 (क)	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रैप";

(x) क्रम संख्या 198क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"198 (ख)	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रैप";

(xi) क्रम संख्या 201क और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 218 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"218 (क)	5605 0010	रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड, जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो";

(xiii) क्रम संख्या 219 के सामने, "अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद" शीर्ष के नीचे, "5705" अंकों के स्थान पर, "5702, 5703, 5705" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 228 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"228 (क)	7001	ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप" ;

(xv) क्रम संख्या 234 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"234 (क)	84 या 85	ई–वेस्ट व्याख्या :– इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ई–वेस्ट से अभिप्राय है, ई–वेस्ट (मेंजमेंट) नियम 2016 [भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016] की अनुसूची I में, सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पयेर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं, भी शामिल हैं";

(xvi) क्रम संख्या 263क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस ब्रिक्वेट्स";

(ख) अनुसूची II –6% में, –

(i) क्रम संख्या 16 के सामने, "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगों स्टीन, सूखे हुए" शब्दों, कोष्ठकों और चिह्नों के स्थान पर, "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" शब्द, कोष्ठक और चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 17 के सामने, "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, "अध्याय 8 के सूखे फल[सूखे इमली के अलावा]", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाडा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, के अलावा]" शब्द अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 के सामने, "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरुप खाद्य पदार्थ जो तत्काल खाए जा सकते हैं, [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि इकाई आधान में रखे गये हैं, और

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के संबंध में किसी अनुयोज्य दावा या किसी प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(iv) क्रम संख्या 111 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132 ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सेंथेटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामेंट यार्न

132 ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132 घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न'';

(vi) क्रम संख्या 137 के सामने, ''माल का वर्णन'' शीर्ष के नीचे, ''जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा'' शब्दों तथा कोष्ठक का लोप कर दिया जाएगा;

(ग) अनुसूची III में – 9%

(i) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) के नीचे, ''पिज्जा ब्रेड'' शब्दों के स्थान पर, ''पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 23 के सामने, खाना (3) के नीचे, ''समरुप खाद्य निर्मितियां, जो उपयोग के लिये तैयार प्ररुप में हैं'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''समरुप खाद्य पदार्थ, खाखरा, जो तत्काल खाये जा सकते है'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 54 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"54क	3213	पोस्टर कलर'';

(iv) क्रम संख्या 63 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; ''दंतमोम'' या ''दंत छाप यौगिकों'' के रुप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में इंडियों या वैसे ही रुप में रखी गई है, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्तापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां'';

(v) क्रम संख्या 102 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 114 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स'';

(vi) क्रम संख्या 158 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 159 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

3
''सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से भिन्न सभी माल'';

(ix) क्रम संख्या 160 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

3
'' कृत्रिम फिलामेंट यार्न से भिन्न सभी माल'';

(x) क्रम संख्या 164 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"177क	6802	निम्न को छोडकर सभी माल:– I. मार्बल और ग्रेनाइड की सभी माल; II. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वनज, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी माल'';

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"303क	8305	लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स, पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैग्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल इन स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) जो बेस मेटल से बनी हों";

(xv) क्रम संख्या 308 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से जल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्राफयुबल पम्प (हॉर्जिंटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स";

(xvi) क्रम संख्या 369 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"369क	8483	प्लेन शाफट बियरिंग";

(घ) अनुसूची IV – 14%

(i) क्रम संख्या 23 के सामने, खाना (3) के नीचे, "पैनों या वैसे ही प्रारुपों या पैकिंग" शब्दों के स्थान पर, "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 34 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"अपशिष्ट और स्क्रैप से भिन्न सभी रुपों में हार्ड रबड़ (उदाहरणार्थ इबोनाइट)";

(iv) क्रम संख्या 70 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"मार्बल या ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं"[मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वनज, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]";

(v) क्रम संख्या 112 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 के सामने, खाना (3) के नीचे, "और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ड.) अनुबंध में, बिन्दु (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि, यदि ब्राण्ड नाम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार रखने वाला व्यक्ति और इकाई आधानों में ऐसे माल को पैकिंग करने वाले व्यक्ति दो अलग–अलग व्यक्ति हैं, तो वह व्यक्ति जो ब्राण्ड नाम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार रखता है, ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ–पत्र दायर करेगा कि वह व्याख्या (ii) (क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नाम पर अपने अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो ऐसे इकाई आधानों में ऐसे ब्राण्ड नाम वाले माल की पैकिंग करता हैं] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे इकाई आधानों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकता है कि ऐसे ब्राण्ड नाम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नाम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नाम पर अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. 100/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of Haryana Government, Excise & Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

(i) in serial number 29, for the entry under column (2), the entry, "0802, 0813", shall be substituted;

(ii) after serial number 30 and the entries thereagainst, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"30A	0804	Mangoes sliced, dried" ;

(iii) after serial number 99 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"99A	1905 or 2106	Khakhra, plain chapatti or roti" ;

(iv) after serial number 101 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"101A	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]" ;

(v) in serial number 164, for the entry under column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"(a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

i. IFO 180 CST

ii. IFO 380 CST";

(vi) after serial number 181 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia";

(vii) after serial number 187 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"187A	3915	Waste, parings or scrap, of plastics";

(viii) after serial number 188 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"188A	40040000	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)";

(ix) after serial number 191 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"191A	4017	Waste or scrap of hard rubber";

(x) after serial number 198A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"198B	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard";

(xi) serial number 201A and entries thereagainst shall be omitted;

(xii) after serial number 218 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"218A	5605 0010	Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread";

(xiii) in serial number 219, under column (2), for the figure, "5705", the figures "5702,5703, 5705", shall be substituted;

(xiv) after serial number 228 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"228A	7001	Cullet or other waste or scrap of glass";

(xv) after serial number 234 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"234A	84or 85	E-waste *Explanation:* For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule Iof the E-Waste(Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational";

(xvi) after serial number 263A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"264	Any chapter	Biomass briquettes" ;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) against serial number 16, under column (3), for the words and brackets "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried", the words and brackets, "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried", shall be substituted;

(ii) against serial number 17, under column (3), for the words figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]", the words, figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]", shall be substituted;

(iii) against Serial number 46, for the entry under column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Namkeens,bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

(iv) serial number 111 and entries thereagainst, shall be omitted;

(v) after Serial number 132 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"132A	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
132B	5402, 5403, 5404,5405,5406	Synthetic or artificial filament yarns
132C	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
132D	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres";

(vi) against serial number 137, under the entry in column (3), the words and figures "such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread)," shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) against serial number 16, under column (3), for the words "other than pizza bread", the words, "other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti", shall be substituted;

(ii) against serial number 23, under column (3), for the words "preparations in ready for consumption form", the words, "preparations in ready for consumption form, khakhra", shall be substituted;

(iii) after serial number 54 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

"54A	3213	Poster colour" ;

(iv) against serial number 63, for the entry under column (3), the entry, "Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)", shall be substituted;

(v) Serial number 102 and the entries thereagainst, shall be omitted;

(vi) against serial number 114, under column (3), for the words and brackets "Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom", the words and brackets "powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)" shall be substituted;

(vii) serial number 158 and entries thereagainst shall be omitted;

(viii) against serial number 159,for the entry under column (3), the entry "all goods other than synthetic filament yarns", shall be substituted;

(ix) against serial number 160, for the entry under column (3), the entry "all goods other than artificial filament yarns", shall be substituted;

(x) serial number 164 and entries thereagainst shall be omitted;

(xi) serial number 165 and entries thereagainst shall be omitted;

(xii) after serial number 177 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"177A	6802	All goods other than:- (i) all goods of marble and granite; (ii) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone" ;

(xiii) serial number 188, and entries thereagainst, shall be omitted;

(xiv) after Serial number 303 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"303A	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal" ;

(xv) after serial number 308 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"308A	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
308B	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps(horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps";

(xvi) after serial number 369 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"369A	8483	Plain shaft bearings" ;

(D) in Schedule-IV-14%, -

(i) against serial number 23, under column (3), for the words, "pans or in similar forms or packings", the words and brackets, "pans or in similar forms or packings [other than poster colour]", shall be substituted;

(ii) serial number 34 and entries thereagainst shall be omitted;

(iii) against serial number 50, under column (3), for the words "including waste and scrap", the words, "other than waste and scrap", shall be substituted;

(iv) against serial number 70, for the entry under column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]";

(v) serial number 112 and entries thereagainst, shall be omitted;

(vi) against serial number 135, under column (3), the words, "and plain shaft bearings", shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55677–C.S.–H.G.P., Chd.